RAJASTHAN HIGH COURT
सत्यमेव जयते

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Suspension Of Sentence(Revision) No. 51/2026

In

SB Criminal Revision Petition No. 208/2026

Virma Alias Virmal S/o Vela, Aged About 35 Years, R/o Nawalshyam, Police Station Bichhiwara, District Dungarpur. Presently Lodged At District Jail, Dungarpur.

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. JVS Deora
For Respondent(s)	:	Mr. Hathi Singh Jodha, PP

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

13/03/2026

1. सजा स्थगन आवेदन पत्र पर निगरानीकर्ता/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान लोक अभियोजक की बहस सुनी गई।

2. निगरानीकर्ता/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क रहा कि विद्वान् अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर (राज.) ने अपने निर्णय दिनांक 15.12.2021 के द्वारा निगरानीकर्ता/अभियुक्त को अपराध अन्तर्गत धारा 420, 468, 471 भारतीय दंड संहिता में दोषसिद्ध घोषित करते हुए सजा दी गई, जिसमें अधिकतम सजा पांच वर्ष के साधारण कारावास तथा 10,000/—रुपये के अर्थदंड, अदम अदायगी अर्थदंड 03 माह का साधारण कारावास से दंडित किया गया, जिसकी पुष्टि अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक 29.01.2026 को की गई। विचारण के दौरान अभियुक्त/निगरानीकर्ता जमानत पर रहा था। निगरानीकर्ता/अभियुक्त के हक में आक्षेपित निर्णय को अपास्त करने के मजबूत आधार उपलब्ध है तथा निगरानीकर्ता/अभियुक्त को दी गई दोषसिद्धि निरस्त किये जाने योग्य है, परन्तु निगरानी की सुनवाई में लम्बा समय लगेगा। इस आधार पर उन्होंने निगरानीकर्ता/अभियुक्त की सजा निगरानी के निर्णय तक स्थगित किये जाने की प्रार्थना की।

3. विद्वान लोक अभियोजक ने विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता/अभियुक्त के उक्त तर्कों का विरोध किया।

4. सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार किया गया। निगरानी की सुनवाई नजदीक समय में होने की सम्भावना नहीं है। इस मामले के तथ्यों, परिस्थितियों को देखते हुए, प्रकरण के गुणावगुण पर बिना टीका टिप्पणी किये इस न्यायालय की राय में निगरानीकर्ता/अभियुक्त की सजा निगरानी के निर्णय तक स्थगित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

5. तदनुसार, निगरानीकर्ता/अभियुक्त की ओर से सजा स्थगित किये जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438(1) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार किया जाता है। विद्वान् अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर (राज.) द्वारा प्रकरण संख्या 137/2016 (पुराना नंबर 01/2016), बअनवान राजस्थान राज्य बनाम विरमा उर्फ विरमल में पारित निर्णय दिनांक 15.12.2021 में निगरानीकर्ता/अभियुक्त **विरमा उर्फ विरमल पुत्र वेला** के विरूद्ध पारित सजा व जिसकी अपीलीय न्यायालय सेशन न्यायाधीश, डूंगरपुर द्वारा फौजदारी अपील संख्या 115/2021 में पारित निर्णय दिनांक 29.01.2026 के द्वारा पुष्टि की गई, को इस निगरानी के निर्णय तक स्थगित की जाती है। निगरानीकर्ता/अभियुक्त द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 06.04.2026 को एवं तत्पश्चात् जब भी उन्हें आदेशित किया जावे, अपनी उपस्थिति हेतु अन्वीक्षा न्यायालय में एक लाख रूपये का बंधपत्र एवं अन्वीक्षा न्यायालय की संतुष्टि अनुसार पचास–पचास हजार की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करावे तो किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता नहीं होने पर अभियुक्त इस निगरानी की सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहा रहेगा। निगरानीकर्ता/अभियुक्त अपना एवं अपने जमानती का पता परिवर्तन होने पर उसकी सूचना अन्वीक्षा न्यायालय, इस न्यायालय एवं अपने अधिवक्ता को देगा।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J

177-GauravG/-